



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 513] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 18, 1978/कार्तिक 27, 1900

No. 513 NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 18, 1978/KARTIKA 27, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

आवृत्ति

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1978

क्र. आ. 669 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1935 (1935 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग के आदेश संख्या का. आ. 602 (इ) तारीख पहली अगस्त, 1977 के साथ प्रकाशित परिष्कृत मंगफली का संल (परिष्करण और कीमत का विनियमन) नियंत्रण आदेश, 1977 को विखंडित करती है :

परन्तु ऐसे विखंड का—

- (क) उक्त आदेश के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सदन की गई किसी बात, या
 - (ख) उक्त आदेश के अधीन अर्जित, प्राप्‍त या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाधयता या दायित्‍व, या
 - (ग) उक्त आदेश के विरुद्ध किये गये किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्‍त, समपहरण या दंड ; या
 - (घ) यथा पूर्वोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाधयता, दायित्‍व, शास्‍त, समपहरण या दंड की बाबत किसी अन्‍वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार ;
- पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसा कोई अन्‍वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार बैसे ही संस्थित, जारी या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्‍त, समपहरण या दंड अधिरोपित किया जा सकेगा माने उक्त आदेश विखंडित नहीं किया गया था ।

[म. सं.-11 (3)/78-ई. ओ. पी.]

आई. एम. सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Civil Supplies & Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 18th November, 1978

S.O. 669(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds the Refined Groundnut Oil (Regulation of Refining and Price) Control Order, 1977, published with the Order of the Government of India in the Ministry of Civil Supplies and Cooperation No. S.O. 602(E) dated the 1st August, 1977 :

Provided that such rescission shall not affect —

- (a) the previous operation of the said Order or anything duly done or suffered thereunder ; or
- (b) any right privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Order ; or
- (c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said Order ; or
- (d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture, or punishment as aforesaid ;

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said Order had not been rescinded.

[F. No. 11(3)/78-EOP]

I. M. SAHAI, Jt. Secy.